

By email

**कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही**

क्रमांक- 15

दिनांक 04/5/24

**कार्यालय आदेश**

1- माह मई, 2024 में होने वाले निम्न राजपत्रित अवकाश हेतु सम्पूर्ण सिरोही जिले के अंतर्गत आने वाले पुलिस थानों से संबंधित आवश्यक कार्य यथा अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी/प्रोटोकॉल, धारा 164 सी.आर.पी.सी. के अतिआवश्यक बयान, मृत्युकालिक कथन, इन्कवेस्ट आदि कार्य हेतु निम्न न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण की ड्यूटी निम्नांकित दिवस में पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्पूर्वी कार्यदिवस को कार्यालय समय पूर्व तक लगाई जाती है :-

क्र. सं.	अवकाश की दिनांक	न्यायालय का नाम
1	05.05.2024	न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूरोड
2	11.05.2024 12.05.2024	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही
3	19.05.2024	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय पिण्डवाडा
4	25.05.2024	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूरोड
5	26.05.2024	न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेवदर

2- नियत अवकाश दिवसों के अगले दिवस पर किसी कारणवश अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश से पूर्व दिवस ड्यूटी पर रहे पीठासीन अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी रहेगी।

3- अति आवश्यक होने पर रिमाण्ड ड्यूटी को परिवर्तन करने का निवेदन किया जावे। रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन नहीं किया जावेगा जब तक कि अति आवश्यक स्थिति के कारण रिमाण्ड हेतु नामित अधिकारी के प्रार्थना पत्र के साथ या पृथक से उनके स्थान पर अन्य अधिकारी का सहमति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

4- प्रशासनिक कारणों से ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
सिरोही

दिनांक 04/5/24

क्रमांक- 24

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

- 1-श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सिरोही को भेजकर सादर निवेदन है कि रिमाण्ड ड्यूटी हेतु नामित न्यायालय के अधिकारी को रिमाण्ड ड्यूटी दिवस को मुख्यालय परित्याग की अनुमति नहीं दी जावे।
- 2-श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय, सिरोही।
- 3-श्रीमान् न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सिरोही।
- 4-मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सिरोही।
- 5-श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, सिरोही।
- 6-अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं. 1/2 आबूरोड/पिण्डवाडा/सिरोही।
- 7-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूरोड / शिवगंज/ आबूरोड
- 8- प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड सिरोही।
- 9-सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही/आबूरोड/पिण्डवाडा/रेवदर।
- 10-न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, पिण्डवाडा
- 11-श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, सिरोही को भेजकर निवेदन है कि वह जिले के समस्त थानाधिकारियों को इस आदेश की प्रति प्रेषित कर सूचित करे तथा उन्हें उचित समय पर रिमाण्ड व अन्य प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देवे।
- 12-इंचार्ज पुलिस कंट्रोल रूम, सिरोही।
- 13-अध्यक्ष वकील मण्डल, सिरोही।
- 14-आदेश/संबंधित पंजिका।
- 15-संबंधित अधिकारी

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
सिरोही